(324)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक २०१८- निगरानी-5351/2018/छतरपुर/भू.रा.सं.50

श्री ______ द्वारा आज दि० 29-8-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 12-9-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 29-8-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

१- मुन्नीलाल | पुत्रगण मुन्ना धोबी
२- मौजीलाल |

दोनों निवासीगण- ग्राम- कुआ, तहसील बड़ा-मलहरा, जिला छतरपुर-मध्यप्रदेश ।

------ प्रार्थीगण

बिरुध्द

उद्देती बाई पुत्री मुन्ना धोबी पत्नी- भगवानदास धोबी निवासिन ग्राम कुआ, तहसील-बड़ामलहरा, जिला छतरपुर हाल निवासी मलहदेवरा, तहसील - बक्स्वाहा, जिला छतरपुर-म०प्र०।

------ प्रतिप्रार्थी

निगरानी बिरुध्द आदेश अपर आयुक्त महोदय सागर संभाग, सागर, दिनांक २६-०७-१८, अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९। प्र०क्र० २५८।१६-१७ अपील।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

१- यह कि, अपर आयुक्त महोदय की विवादित आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, अपर आयुक्त महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा गया है ।

३- यह कि, अपर आयुक्त महोदय ने तथ्यों के सम्बन्ध में अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के आदेशों को निरस्त करने में कानूनी एंव तथ्यात्मक भूल की है ।

४- यह कि, अपर आयुक्त महोदय ने प्रार्थीगण व्दारा उनके अधि०

क्रमशः----२

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5351/2018/छतरपुर/भू0रा0

मुन्नीलाल आदि विरूद्ध उद्देती बाई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	आ
19–03–19	आवेदक अभिभाषक श्री एस0के0 अवस्थी एवं अनावेदक अभिभाषक श्री सुनील सिंह जौदान उपस्थित। उनके द्वारा प्रकरण के ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। 2/ आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण कमांक 258/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 26–7–2018 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है। 3/ निगरानी मेमो का अवलोकन किया एवं आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया। इस प्रकरण में प्रश्नाधीन भूमि के पंजी पर हुये बटवारा आदेश दिनांक 6–3–2015 को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील में चुनौती दी गई। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 28–7–2016 को अपील समयावधि बाह्य मानकर निरस्त की गई। अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 26–7–2018 से अपील स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये एवं राजस्व अभिलेख पूर्ववत दुरूस्त करने निर्देश दिये। 4/ आवेदक अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क किया कि अपर आयुक्त के समक्ष केवल समय–सीमा के बिन्दु का निराकरण करना चाहिए था जबकि अपर आयुक्त ने प्रकरण के गुण–दोष पर निराकरण करने में त्रुटि की है। आवेदक अभिभाषक का यह तर्क मान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि	

19.3.19

अपर आयुक्त द्वारा म्याद के बिन्दु का भी निराकरण अपने आदेश से किया गया है साथ ही प्रकरण का गुण–दोषों पर निरांकरण किया है। जहां विधि की भूल की गई हो वहां प्रकरण का निराकरण तकनीकी आधार पर न किया जाकर गुण–दोषों पर किया जाना चाहिए। इसी कारण अपर अनुविभागीय अधिकारी के म्याद के बिन्दु पर पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील पर गुण–दोष पर निराकरण करने में उचित निष्कर्ष निकाले हैं। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है कि प्रकरण का तकनीकी आधार पर निराकरण न कर गुण–दोषों पर किया जाना चाहिए। इस संबंध में कई न्यायिक उद्धरण प्रतिपादित किये गये हैं। इस प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा पंजी पर बटवारा आदेश पारित किया है जबकि म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 के अनुसार पंजी पर बटवारा आदेश पारित नहीं किया जा सकता इसके लिए विधिवत पृथक से प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की जानी चाहिए। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में यह निष्कर्ष निकाला है कि संहिता की धारा 178 में पंजी पर बटवारा किया जाने का प्रावधान नहीं है। इसी कारण अपर आयुक्त ने तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त कर राजस्व अभिलेख पूर्ववत दुरूस्त करने के आदेश दिये हैं, जो वैधानिक रूप से उचित प्रतीत होता है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी प्रथमदृष्टया ही आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है।

पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।

(आर.के. जैन) 19.3.19
सदस्य